न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 199/2022(जी.सी.एम.एस. 2022/293)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कुलदीप कौर पत्नी मनदीप सिंह पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर। 2. कर्मजीत कौर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 63 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. दलजीत कौर पत्नी सुखदीप सिंह पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सरावां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। 2. राजेन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 63 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजूः– 07.11.2022

उपस्थितः1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण
2.श्री विनय गर्ग अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

--निर्णय-- दिनांकः 29.09.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह के नाम राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 135/129 के मुरब्बा नम्बर 10, 86/3, 86/8 की 5.314 हैक्टेयर भूमि में से 0.332 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 133/128 के मुरब्बा नम्बर 5, 18 की कुल 12.297 हैक्टेयर भूमि में से 0.387 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 112/108 के मुरब्बा नम्बर 3, 12, 21, 86/5 की कुल 12.372 हैक्टेयर भूमि में से 0.107 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 91/90 के मुरब्बा नम्बर 21, 44 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि में से 1.012 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 92/91 के मुरब्बा नम्बर 6, 67 की कुल 1.469 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस प्रकार पांचो खातो में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 3.307 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के परिवार की पैतृक भूमि है। जो प्रतिवादी संख्या 2 को विरास्तन प्राप्त हुई है। जिसका इन्तकाल संख्या 344, 345, 346 है तथा उक्त भूमि हिन्दू खानदान की कोपार्सनी भूमि है, जिसमें वादीगण का हिस्सा जन्म से ही बनता है, जिसे वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण की माता की मृत्यू सन् 2010 में हो चुकी है। वादीगण का पालन-पोषण उनके दादा-दादी द्वारा किया गया है तथा उनके पास ही रह रहे हैं। वादीगण औरतजात है, जिनका कोई भाई नहीं है। वादीगण के पास जीवकोपार्जन के लिए उक्त भूमि के अलावा आय का कोई अन्य साधन नहीं है। वादीगण के दादा-दादी द्वारा बडी मुश्किल से वादी संख्या 1 एंव प्रतिवादी संख्या 1 की शादी की है एंव वादी संख्या 2 अभी कुंवारी है, जो अभी अपने दादा-दादी के पास रह रही है तथा हमारा पालन-पोषण दादा-दादी द्वारा ही किया गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का पिता यानि प्रतिवादी संख्या 2 भोला-भाला व्यक्ति है, जो शराब के नशे का आदी है, जिसे अच्छे बुरे का कोई पता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को अपने बहकावे में कर रखा है और प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 के कहे अनुसार ही चलता है। प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम लगवाना चाहती है। आज से दो रोज पूर्व वादीगण, प्रतिवादीगण से मिले और उन्हें कहा कि आप उक्त भूमि का विधिवत् बंटवारा करवाकर वादीगण को उनके हिस्सा अनुसार उनकी भूमि दे देवे, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे :- कि प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 135/129 के मुरब्बा नम्बर 10, 86/3, 86/8 की 5.314 हैक्टेयर भूमि में से 0.332 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 133/128 के मुरब्बा नम्बर 5, 18 की कुल 12.297 हैक्टेयर भूमि में से 0.387 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 112/108 के मुरब्बा नम्बर 3, 12, 21, 86/5 की कुल 12.372 हैक्टेयर भूमि में से 0.107 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 91/90 के मुरब्बा नम्बर 21, 44 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि में से 1.012 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 92/91 के मुरब्बा नम्बर 6, 67 की कुल 1.469 हैक्टेयर भूमि, कुल 3.307 हैक्टेयर भूमि में से प्रत्येक वादीगण को 1/4-1/4 हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विनय कुमार गर्ग उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादीगण का वादपत्र खारिज किए जाने के आदेश दिए जावे। पैरोकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया।

हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादीगण राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 135/129 के मुरब्बा नम्बर 10, 86/3, 86/8 की कुल 5.314 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 133/128 के मुरब्बा नम्बर 5, 18 की कुल 12.297 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 112/108 के मुरब्बा नम्बर 3, 12, 21, 86/5 की कुल 12.372 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 91/90 के मुरब्बा नम्बर 21, 44 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 92/91 के मुरब्बा नम्बर 6, 67 कुल 1.469 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज भूमि में से प्रत्येक 1/4 हिस्से के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?
-जिम्मे वादीगण-

(ii)अनुतोष।

वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 135/129 की प्रति, प्रदर्श-2 राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 133/128 की प्रति, प्रदर्श-3 राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 112/108 की प्रति, प्रदर्श-4 राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 91/90 की प्रति, प्रदर्श-5 राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 92/91 की प्रति, प्रदर्श-6 नामान्तरण संख्या 344 की प्रति, प्रदर्श-7 नामान्तरण संख्या 345 की प्रति, प्रदर्श-8 नामान्तरण संख्या 346 की प्रति, स्वंय वादीगण कुलदीप कौर, कर्मजीत कौर का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी के द्वारा जिरह की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। साक्ष्यप्रतिवादी में गवाह दलजीत कौर के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। जिरह वकील वादी द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

नकी संख्या (i) आया कि क्या वादीगण राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ. नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 135/129 के मुरब्बा नम्बर 10, 86/3, 86/8 की कुल 5.314 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 133/128 के मुरब्बा नम्बर 5, 18 की कुल 12.297 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 112/108 के मुरब्बा नम्बर 3, 12, 21, 86/5 की कुल 12.372 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 91/90 के मुरब्बा नम्बर 21, 44 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 92/91 के मुरब्बा नम्बर 6, 67 कुल 1.469 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज भूमि में से प्रत्येक 1/4 हिस्से के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा अपने पिता राजेन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह के नाम दर्ज कुल 3.178 हैक्टेयर भूमि में से 1/4 - 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने बाबत अर्ज किया है। प्रदर्श-6 नामान्तरण संख्या 344, प्रदर्श-7 नामान्तरण संख्या 345, प्रदर्श-8 नामान्तरण संख्या 346 के मुताबिक वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र सिंह को अपने पिता हरनेक सिंह की मृत्यू के पश्चात जरिए वसीयत प्राप्त हुई हैं। जिसमें से वादीगण 1/4 - 1/4 हिस्से के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः वादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

(ii) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 बहक वादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 135/129 के मुरब्बा नम्बर 10, 86/3, 86/8 की 5.314 हैक्टेयर भूमि में से 0.332 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 133/128 के मुरब्बा नम्बर 5, 18 की कुल 12.297 हैक्टेयर भूमि में से 0.387 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 112/108 के मुरब्बा नम्बर 3, 12, 21, 86/5 की कुल 12.372 हैक्टेयर भूमि में से 0.107 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 91/90 के मुरब्बा नम्बर 21, 44 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि में से 1.012 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 92/91 के मुरब्बा नम्बर 6, 67 की कुल 1.469 हैक्टेयर भूमि, कुल 3.307 हैक्टेयर भूमि में से प्रत्येक वादीगण कुलदीप कौर, कर्मजीत कौर को 1/4-1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

कुलदीप कौर आदि बनाम दलजीत कौर आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 188 आरटीए
मुकदमा नम्बर **199/2022**
निर्णय दिनांक :- 29.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री विनय कुमार गर्ग उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 135/129 के मुरब्बा नम्बर 10, 86/3, 86/8 की 5.314 हैक्टेयर भूमि में से 0.332 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 133/128 के मुरब्बा नम्बर 5, 18 की कुल 12.297 हैक्टेयर भूमि में से 0.387 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 112/108 के मुरब्बा नम्बर 3, 12, 21, 86/5 की कुल 12.372 हैक्टेयर भूमि में से 0.107 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 91/90 के मुरब्बा नम्बर 21, 44 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि में से 1.012 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 92/91 के मुरब्बा नम्बर 6, 67 की कुल 1.469 हैक्टेयर भूमि, कुल 3.307 हैक्टेयर भूमि में से प्रत्येक वादीगण कुलदीप कौर, कर्मजीत कौर को 1/4-1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे।

आज दिनांक 29.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

ददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
ाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
ाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
ाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
ग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/738 दिनांकः 29.09.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)